



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21042023-245319
CG-DL-E-21042023-245319

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1734]

No. 1734]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2023/वैशाख 1, 1945

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2023/VAISAKHA 1, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2023

का.आ. 1816(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 उप धारा (1) के अधीन जारी की गई] भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना जिसका प्रकाशन भारत के राजपत्र संख्या 4588 दिनांक 07 अक्टूबर 2022 का-आ- 4798 (अ) दिनांक 06 अक्टूबर 2022 भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) में किया गया है, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य के जिला जालौन की तहसील कोंच, उरई व कालपी की भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) तक एलपीजी परिवहन के लिए आईएचबी लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहें "कांडला (गुजरात) से गोरखपुर (यूपी) परियोजना" के सम्बन्ध में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के लिए अपने आशय की घोषणा की थी:

और उक्त राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को तारीख 27 अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में मदन चन्द्र दुबे, सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित हैं, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद् द्वारा घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाईन बिछाने के उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए:

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आईएचबी लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आईएचबी लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाईन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील-कोंच	जिला-जालौन	राज्य-उत्तर प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
पिरौना	455	00	00	57
	454	00	01	04
	451	00	05	51
	449	00	04	33
	कुल	00	11	45

तहसील-उरई	जिला-जालौन	राज्य-उत्तर प्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
एट	999	00	12	65
	कुल	00	12	65
पचोखरा	264	00	10	87
	265	00	01	92
	कुल	00	12	79
सोमई	697	00	00	20
	कुल	00	00	20
गिरथान	224	00	00	40
	225	00	00	35

गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
	कुल	00	00	75
नरछा	94	00	10	35
	38	00	00	05
	कुल	00	10	40
कैथेरी	272	00	00	98
	258	00	00	42
	290	00	15	21
	437	00	22	67
	438	00	08	08
	434	00	14	60
	444	00	00	48
	449	00	00	10
	कुल	00	62	54
कुठौंदा	236	00	10	80
	277	00	00	70
	कुल	00	11	50
कुईया	181	00	00	18
	179	00	00	66
	164	00	00	24
	कुल	00	01	08

तहसील-कालपी

जिला-जालौन

राज्य-उत्तर प्रदेश

गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
चमारी	1002	00	21	90
	कुल	00	21	90
भभुवा	422	00	03	47
	कुल	00	03	47
पिपराया	158	00	01	00
	कुल	00	01	00

गाँव का नाम	सर्वे नं./गाटा नं.	क्षेत्रफल		
		हैक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
काशीरामपुर	888	00	02	50
	कुल	00	02	50

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-I - भाग(1)/ई-45874]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2023

S.O. 1816(E).—Whereas by the notification of The Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Published in the Gazette No 4588 dated 07.10.2022, S. O. No. 4798(E), dated 06.10.2022 Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (Here in after referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land situated in Tehsil Konch, Orai, Kalpi, District Jalaun in UP State, specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of LPG from Kandla to Gorakhpur by the IHB Ltd. for implementing the Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project.

And whereas the copies of the said Gazette notification were made available to the public on 27 October 2022.

And whereas the Madan Chandra Dubey, Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, has submitted his report to Central Government.

And whereas, the Central Government after Considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of the user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user of the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vests on the date of publication of this declaration, in IHB Ltd, free from all encumbrances.

IHB Ltd. shall be exclusively liable for any compensation in terms of section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : KONCH

DISTRICT: JALAUN

STATE: UTTAR PRADESH

Name of Village	Survey No.	Area		
		Hectare	Are	Sqm.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PIRONA	455	00	00	57
	454	00	01	04
	451	00	05	51
	449	00	04	33
	Total	00	11	45

TEHSIL : ORAI		DISTRICT: JALAUN		STATE: UTTAR PRADESH	
Name of Village	Survey No.	Area			
		Hectare	Are	Sqm.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Ait	999	00	12	65	
	Total	00	12	65	
Pachokhra	264	00	10	87	
	265	00	01	92	
	Total	00	12	79	
Somai	697	00	00	20	
	Total	00	00	20	
Girthan	224	00	00	40	
	225	00	00	35	
	Total	00	00	75	
Narchha	94	00	10	35	
	38	00	00	05	
	Total	00	10	40	
Kaitheri	272	00	00	98	
	258	00	00	42	
	290	00	15	21	
	437	00	22	67	
	438	00	08	08	
	434	00	14	60	
	444	00	00	48	
	449	00	00	10	
	Total	00	62	54	
Kuthonda	236	00	10	80	
	277	00	00	70	
	Total	00	11	50	
Kuyian	181	00	00	18	
	179	00	00	66	
	164	00	00	24	
	Total	00	01	08	

TEHSIL : KALPI		DISTRICT: JALAUN		STATE: UTTAR PRADESH	
Name of Village	Survey No.	Area			
		Hectare	Are	Sqm.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Chamari	1002	00	21	90	
	Total	00	21	90	
Bhabhua	422	00	03	47	
	Total	00	03	47	
Pipraya	158	00	01	00	
	Total	00	01	00	
Kashirampur	888	00	02	50	
	Total	00	02	50	

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I-Part(1) / E-45874]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.